



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 109]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 14, 2012/फाल्गुन 24, 1933

No. 109]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 14, 2012/PHALGUNA 24, 1933

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2012

सा.का.नि. 148(अ).—केन्द्रीय सरकार, अखिल भारतीय सेवा नियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संबद्ध सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम 2 में खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(घक) “सीमित प्रतियोगिता परीक्षा” से ऐसी परीक्षा अभिप्रेत है जो भारतीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (i)(ख) के अनुसार भारतीय सेवा में नियुक्ति के लिए विहित है;

(i) नियम 5 के उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सेवा के किसी सदस्य का आरंभिक वेतन, 5400 रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) के कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा :

परंतु यदि सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त सेवा का कोई सदस्य, कोई धारणाधिकार धारण करता है या उसने धारणाधिकार धारण किया होता, भारतीय पुलिस सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसको लागू नियमों के अधीन किसी स्थायी पद पर यदि उसका धारणाधिकार निलंबित नहीं किया जाता तो उसका आरंभिक वेतन निम्नलिखित रीति में विनियमित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि वह स्थायी वर्ग-1/समूह 'क' पद धारण कर रहा था और ऐसे स्थायी पद पर उसका वेतन, भारतीय पुलिस सेवा के न्यूनतम कनिष्ठ वेतनमान से अधिक है तो उसका वेतन 5400 रु. के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) में कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा। उसके द्वारा, उसके पूर्वतर पद पर लिया जा रहा वास्तविक वेतन और न्यूनतम वेतन बैंड-3 के बीच के अंतर को वैयक्तिक वेतन के रूप में माना जाएगा और उसके वैयक्तिक वेतन के समतुल्य राशि तक उसके वेतन में वृद्धि होते ही, वह समाप्त हो जाएगा ;

(ख) यदि भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के पूर्व धारित स्थायी वर्ग-1/समूह 'क' पद का वेतनमान, भारतीय पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतनमान से संलग्न वेतन संरचना से भिन्न है तो उसका वेतन 5400 रु. के ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) के कनिष्ठ वेतनमान के न्यूनतम पर नियत किया जाएगा। उसके द्वारा, उसके पूर्वतर पद पर लिया जा रहा वास्तविक वेतन और 5400 रु. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 के न्यूनतम के बीच के अंतर को वैयक्तिक वेतन के रूप में माना जाएगा और उसके वैयक्तिक वेतन के समतुल्य राशि तक उसके वेतन में वृद्धि होते ही, वह समाप्त हो जाएगा ;

(ग) यदि वह वर्ग 1 पद से निम्नतर पद धारण किए हुए था तो उसका वेतन, उस प्रक्रम पर, जिस पर ऐसा वेतन प्रोद्भूत हुआ था एक वेतनवृद्धि द्वारा निचले पद की बाबत उसका वेतन बढ़ाकर

सैद्धांतिक रूप से निकाले गए अगले प्रक्रम पर नियत किया जाएगा। इस प्रकार निकाला गया वेतन, वेतन बैंड-3 के न्यूनतम से कम है तो उसका वेतन 5400 रु. ग्रेड वेतन के साथ वेतन बैंड-3 (15600-39100 रु.) में न्यूनतम कनिष्ठ वेतनमान पर नियत किया जाएगा। यदि निकाला गया वेतन, वेतन बैंड-3 के न्यूनतम से अधिक है तो निकाले गए वेतन और न्यूनतम वेतन बैंड-3 के बीच के अंतर को वैयक्तिक वेतन के रूप में माना जाएगा और उसका वैयक्तिक वेतन के समतुल्य राशि तक उसके वेतन में वृद्धि होते ही, वह समाप्त हो जाएगा।”

[फा. सं. 13018/3/2010-एआईएस (1)(पीटी. II)]

एस. एस. शुक्ला, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में सा.का.नि. सं. 108(अ), तारीख 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनका संख्यांक सा.का.नि. 692(अ), तारीख 27 सितम्बर, 2008, सा.का.नि. 189(अ), तारीख 24 मार्च, 2009, सा.का.नि. 231(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2009, सा.का.नि. 497(अ), तारीख 7 जुलाई, 2009, सा.का.नि. 589(अ), तारीख 20 अगस्त, 2009, सा.का.नि. 771(अ), तारीख 20 अक्टूबर, 2009, सा.का.नि. 894(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 2009, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 3 मार्च, 2010, सा.का.नि. 228(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 230(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 232(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 234(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 236(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 238(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 240(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 242(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 244(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 246(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 248(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 250(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 252(अ), तारीख 30 मार्च, 2010, सा.का.नि. 299(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2010, सा.का.नि. 510(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. 512(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. 514(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. 516(अ), तारीख 16 जून, 2010, सा.का.नि. 620(अ), तारीख 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 622(अ), तारीख 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 624(अ), तारीख 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 626(अ), तारीख 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 628(अ), तारीख 23 जुलाई, 2010, सा.का.नि. 725(अ), तारीख

1 सितम्बर, 2010, और सा.का.नि. 769(अ), तारीख 20 सितम्बर, 2010 द्वारा संशोधन किया गया।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2012

G.S.R. 148(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government after consultation with the Governments of the States concerned, hereby makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007, namely:—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Pay) Amendment Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Indian Police Service (Pay) Rules, 2007 after clause (d) the following shall be inserted, namely:—

‘(da) “Limited Competitive Examination” means such examination as prescribed for appointment to the Indian Police Service in accordance with sub-rule (i)(b) of rule 4 of Indian Police Service (Recruitment) Rules, 1954’;

(i) in rule 5, after sub-rule (10), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(1A) The initial pay of a member of service appointed through Limited Competitive Examination shall be fixed in the minimum of the junior scale in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with grade pay of Rs. 5400;

Provided that if a member of service appointed through Limited Competitive Examination holds a lien, or would hold the lien had his lien not been suspended on a permanent post, under the rules applicable to him prior to his appointment to the Indian Police Service, his initial pay shall be regulated in the following manner, namely:—

(a) if he was holding a permanent Class-1/Group ‘A’ post and his pay in such permanent post is more than the minimum of the Junior Scale of the Indian Police Service, his pay will be fixed at the minimum of the Junior scale in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 5400. The difference between the actual pay drawn by him in his earlier post and the minimum of Pay Band 3, shall be treated as personal pay and shall cease as soon as his pay is increased by an amount equal to his personal pay;

(b) In case the pay scale of permanent Class-1/Group ‘A’ post held prior to appointment in IPS is different from pay structure attached to Junior Scale of IPS, his pay will be fixed at the minimum of the Junior scale in Pay Band-3 (Rs. 15600-39100) with Grade Pay of Rs. 5400. The difference between the actual pay drawn by him in his earlier post and